

पोषण के माध्यम से स्वास्थ्य सशक्तिकरण

राजस्थान ने स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा अवसंरचना और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, मातृ एवं शिशु देखभाल तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। चिकित्सा शिक्षा के विस्तार, संस्थागत प्रसवों में वृद्धि और टीकाकरण में सुधार के साथ राज्य जनस्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के प्रति प्रतिबद्ध है। खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकार राज्य में नागरिकों के समग्र कल्याण को और अधिक सशक्त बनाते हैं।

मेडिकल कॉलेजों का विस्तार

स्वतंत्रता के पश्चात 1 से बढ़कर 43 मेडिकल कॉलेज एवं 15 दंत चिकित्सा कॉलेज

संस्थागत प्रसव

11.6% (1992-93) से बढ़कर 94.9% (2020-21) राष्ट्रीय औसत से अधिक

शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)

2001 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 80 (एसआरएस 2001) से घटकर 2020 में 32 (एसआरएस 2020) 20 वर्षों में एक बड़ी गिरावट

मातृ मृत्यु दर (एमएमआर)

1999-2000 में 501 से घटकर 2018-2020 में 113, 388 अंकों की गिरावट

पाँच वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर (यू5एमआर)

गत 10 वर्षों में पाँच वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 64 से घटकर 40

बच्चों की टीकाकरण दर

12-23 महीने की आयु के बच्चों में 80.4% पूर्ण टीकाकरण, राष्ट्रीय औसत से 4% अधिक

खाद्य सुरक्षा नेटवर्क

27,366 राशन दुकानों के माध्यम से 4.44 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क मासिक राशन

किफायती रसोई गैस

मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत ₹450 प्रति सिलेंडर की दर से प्रतिवर्ष 12 सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर उपलब्ध

मोटे अनाजों का प्रचार

पोषण और सततता बढ़ाने हेतु श्री अन्न(coarse grain) के क्षेत्रीय क्रय को प्रोत्साहन

उपभोक्ता संरक्षण

सभी नागरिकों हेतु उचित मूल्य निर्धारण, सूचना आधारित विकल्प एवं शिकायत निवारण के प्रति प्रतिबद्धता

विजन 2047

2047 तक राजस्थान सभी नागरिकों के लिए **शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक** रूप से समग्र कल्याण की परिकल्पना करता है, जिसे एक **सार्वभौमिक, सुलभ एवं एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली** द्वारा समर्थित किया जाएगा। एक पारदर्शी, समावेशी एवं नवाचार आधारित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति प्रणाली आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करेगी, जिससे सामाजिक कल्याण तथा आर्थिक स्थिरता सुदृढ़ होगी।



प्रमुख क्षेत्र



सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)

राजस्थान द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण, किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का 100% कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य।



चिकित्सा पर्यटन केंद्र

राजस्थान की क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, 2047 तक अंतरराष्ट्रीय रोगियों को राज्य में आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।



स्वास्थ्य सेवाओं में AI

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित निदान और पूर्वानुमान विश्लेषण का क्रियान्वन करके उपचार की दक्षता को बढ़ाना।



चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान

प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेजों के साथ चिकित्सा अवसंरचना का विस्तार और उन्नत कौशल विकास कार्यक्रम लागू।



आयुष्मान स्वस्थ राजस्थान

स्वास्थ्य निवारक पहलों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा।



उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण

ग्रामीण स्तर पर उपभोक्ता कल्याण को मजबूत करने हेतु उपभोक्ता भवन और उपभोक्ता मित्र की स्थापना।



खाद्य सुरक्षा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से 4.44 करोड़ लाभार्थियों को निरंतर खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित।



वैधानिक मापतोल अधिनियम 2009

निष्पक्ष व्यापार व्यवहार (Fair Trade Practices) और सही माप सुनिश्चित करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को मजबूत करना।



मोटे अनाजों का प्रचार

पोषण से भरपूर मिलेट्स के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने हेतु श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना।

राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जैसी पहलों के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करने में तेजी से प्रगति कर रहा है, (प्रति परिवार ₹25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, भारत में सबसे अधिक)। राजस्थान में 88% परिवार किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य बीमा में कवर हैं (NFHS-5, 2020-21), जो चिकित्सा खर्चों से वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।



राज्य में दिसंबर, 2024 तक कुल 43 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 6 सरकारी क्षेत्र में हैं, एक राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) कॉलेज है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (RajMES) के 22 मेडिकल कॉलेज, अलवर में एक कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) कॉलेज, जोधपुर में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) तथा शेष 12 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में हैं। प्रशिक्षण क्षमता एवं स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को प्रभावी रूप से उपयोग में लाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्यकर्मियों के निरंतर कौशल उन्नयन के लिए शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा रही है।

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना



राजस्थान ने निम्न योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क दवाओं एवं जांच सेवाओं को प्राथमिकता दी है

- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना : इसके तहत कैंसर उपचार सहित कुल 1,828 दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराकर रोगियों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना : मेडिकल कॉलेजों में 90, जिला अस्पतालों में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) में 37 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार

- संस्थागत प्रसव 11.6% (1992-93) से बढ़कर 94.9% (2020-21) हो गए हैं, जिससे सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित हो रहे हैं।
- शिशु मृत्यु दर (IMR) में 20 वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई है, जो वर्ष 2001 में 80 से घटकर वर्ष 2020 में 32, यह गिरावट राष्ट्रीय औसत (38 अंकों की गिरावट) से बेहतर
- मातृ मृत्यु दर (MMR) 501 (1999-2000) से घटकर 113 (2018-20) हो गई, जो 388 अंकों की गिरावट के साथ राष्ट्रीय औसत (230 अंकों की गिरावट) की तुलना में काफी बेहतर
- राज्य में 80.4% बच्चों (12-23 महीने के आयु वर्ग) का पूर्ण टीकाकरण किया गया, राष्ट्रीय औसत 76.4% से अधिक

आपातकालीन एवं विशिष्ट देखभाल का सुदृढीकरण

- राजस्थान में 160 फर्स्ट रेफरल यूनिट्स (FRUs) प्रसूति एवं नवजात आपातकालीन सेवाएँ उपलब्ध करा रही
- राज्य के निवासियों को 50 किलोमीटर के दायरे में आपातकालीन सेवाएँ सुनिश्चित करने हेतु 101 ट्रॉमा सेंटर हैं। इसके अतिरिक्त 100 प्राथमिक ट्रॉमा सेंटर निर्माणाधीन

संक्रमित एवं गैर- संक्रमित रोगों पर नियंत्रण

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NCD (संक्रामक) की स्क्रीनिंग, प्रबंधन एवं टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार
- आत्महत्या रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य एवं बुजुर्गों की देखभाल हेतु विशेष प्रयासों को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एकीकृत किया जा रहा
- एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को नियंत्रित करने हेतु निगरानी, एंटीबायोटिक प्रबंधन तथा जागरूकता अभियानों का संचालन

तंबाकू नियंत्रण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल

- राजस्थान के तंबाकू मुक्त अभियान की व्यापक सराहना, WHO द्वारा राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार तथा तंबाकू नियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार (2023) प्रदान
- वित्त, आपूर्ति श्रृंखला तथा अस्पताल प्रशासन के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर विकसित किया जा रहा है, जिससे शासन में सुदृढ़ता आएगी।

राजस्थान की व्यापक एवं समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों में अग्रणी राज्य बनाती है एवम् राज्य के सभी नागरिकों हेतु समान एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करती है।



राजस्थान एक व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से अपने नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। राज्य में कुल 27,366 राशन दुकानें संचालित हैं, जिनके द्वारा 4.44 करोड़ लाभार्थियों को प्रतिमाह निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक (जून 2022) के अनुसार राजस्थान का देशभर में 0.694 स्कोर के साथ 15वाँ स्थान है, जो राज्य में खाद्य सुरक्षा नीतियों, कानूनी प्रावधानों और पोषण सम्बंधित पहल की मजबूत स्थिति को दर्शाता है।

कमजोर वर्गों हेतु सहायता

- अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो गेहूँ प्रदान किया जाता है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत, अन्य पात्र लाभार्थियों को 2029 तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूँ उपलब्ध कराया जाएगा।
- राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड के माध्यम से लाभों तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।

सभी के लिए किफायती रसोई गैस

स्वच्छ एवं किफायती खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत ₹450 प्रति सिलेंडर की दर से प्रतिवर्ष 12 LPG सिलेंडरों पर सब्सिडी दी जाती है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से यह सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है, जिससे लाभार्थियों के आर्थिक बोझ में कटौती हो रही है।

श्री अन्न (मोटे अनाज) को बढ़ावा

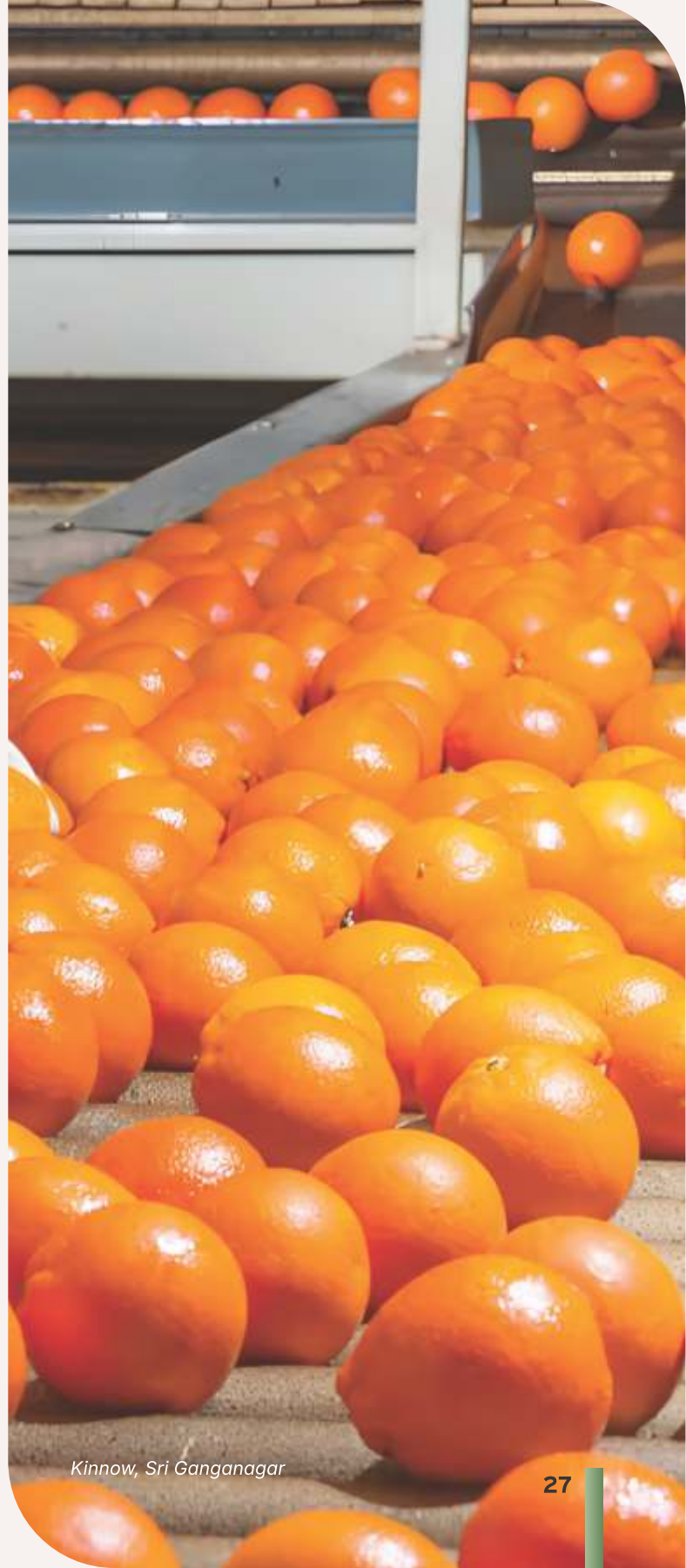
मोटे अनाज के एक प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में, राजस्थान पोषणयुक्त मिलेट्स को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) में एकीकृत कर रहा है, जिससे आहार में विविधता आएगी और गेहूँ पर निर्भरता कम की जा सकेगी। क्षेत्रीय खरीद की प्रक्रिया सतत कृषि को बढ़ावा देगी और स्थानीय किसानों को समर्थन प्रदान करेगी।

उपभोक्ता अधिकार एवं संरक्षण

राज्य निम्न के पालन से निष्पक्ष व्यापार व्यवहार सुनिश्चित करता है

- मिलावटी उत्पादों से सुरक्षा
- स्पष्ट उत्पाद जानकारी तक पहुँच
- प्रतिस्पर्धी मूल्य और विकल्पों की उपलब्धता
- उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण

इन पहलों के माध्यम से राजस्थान एक पारदर्शी, समावेशी एवं लोककल्याणकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व्यवस्था का निर्माण कर रहा है।



Kinnow, Sri Ganganagar



संकेतक	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य (2030)	लक्ष्य (2047)
चिकित्सा स्वास्थ्य			
औसत आयु (वर्ष)	69.4	>77	>84
मातृ मृत्यु दर (एमएमआर)	113	<70	<15
शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)	32	<20	<10
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) (%)	88	100	100
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पर चिकित्सा व्यय (OOPE) (%)	37.1 (एनएचए 2021-22 के अनुसार)	<15	8
राज्य स्वास्थ्य सूचकांक रैंक	16वाँ	शीर्ष 5 में	शीर्ष 3 में
चिकित्सा शिक्षा			
मेडिकल कॉलेजों की स्थापना	43	48	प्रत्येक जिला
एकीकृत चिकित्सा शिक्षा केंद्र	-	-	सभी मेडिकल कॉलेज
ई-लर्निंग और AI आधारित LMS कक्षाएं	-	33	सभी मेडिकल कॉलेज
RIMS (क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान)	-	1	सभी संभाग
शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (Apex Institutes)	-	-	सभी संभाग
सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएँ	6	33	सभी मेडिकल कॉलेज
सुपर-स्पेशियलिटी ब्लॉक	4	7	7
सुदृढ़ ट्रॉमा/आपातकालीन विंग	15	33	सभी मेडिकल कॉलेज
कैंसर केयर उत्कृष्टता केंद्र	-	1	2
मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वाहन	7	33	50
कैंसर केयर अवसंरचना	6	33	सभी मेडिकल कॉलेज
मरीजों के डेटा का AI के साथ एकीकरण	-	33	सभी मेडिकल कॉलेज
आयुष (AYUSH)			
जिला आयुर्वेद अस्पताल	33	41	प्रत्येक जिला
ब्लॉक स्तर के आयुष अस्पताल	84	250	प्रत्येक ब्लॉक
आयुर्वेद फार्मसी	5	7	प्रत्येक संभाग
मुख्यालय पर			
जिला होम्योपैथी अस्पताल	1	7	सभी संभाग में एक
होम्योपैथी फार्मसी	-	1	सभी संभाग में एक
यूनानी फार्मसी	-	1	सभी संभाग में एक
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति			
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंक	15वाँ	शीर्ष 10 में	शीर्ष 5 में
खाद्यान्न की उपलब्धता (TPDS) (%)	98.52	100	100
स्वच्छ ईंधन (Clean Cooking Fuel) उपयोग करने वाले परिवार (%)	41.4	70	100



प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच

"निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना" के अंतर्गत प्रत्येक परिवार तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए, आवश्यक दवाओं की मुफ्त उपलब्धता एवं 100% सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित।



संक्रामक रोगों का उन्मूलन

सघन टीकाकरण व रोग निगरानी कार्यक्रमों के माध्यम से खसरा एवं मलेरिया को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य। साथ ही कुछ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य भी सुनिश्चित किया जाएगा।



आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र

चिकित्सकीय आपात स्थितिओं में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु राज्यव्यापी आपातकालीन सेवाएँ में बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) एडवांस लाइफ सपोर्ट (ALS) एवं बाइक एम्बुलेंस सेवाएँ विकसित की जाएंगी।



मानसिक स्वास्थ्य का एकीकरण

सभी अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना तथा बहुक्षेत्रीय सहयोग द्वारा शीघ्र निदान एवं उपचार सुनिश्चित किया जाएगा।



वृद्धजन एवं पैलीयेटिव केयर

सभी जिला अस्पतालों में वृद्धजनों की देखभाल नीति के तहत विशिष्ट Geriatric Care एवं Palliative Care इकाइयों की स्थापना की जाएगी।



चिकित्सा पर्यटन केंद्र

सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों एवं वेलनेस केंद्रों में वैश्विक निवेश आकर्षित करने हेतु नियमों का सरलीकरण तथा एकल-खिड़की स्वीकृति प्रणाली लागू की जाएगी।



सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)

स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार कर राजस्थान की 100% जनसंख्या को कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य पर होने वाले जेब खर्च को कम किया जा सके। इन योजनाओं में आयुष सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा, जिससे समग्र एवं पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं तक जनसामान्य की पहुँच बढ़ेगी।



चिकित्सा अवसंरचना का सुदृढीकरण

वेक्टर बोन एवं संक्रामक रोगों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु 6 ट्रॉपिकल मेडिसिन एवं वायरोलॉजी संस्थानों का निर्माण।



स्वास्थ्य सेवाओं में AI एवं IoT

रोग प्रबंधन एवं पर्यावरणीय निगरानी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए AI Based predictive diagnostics एवं IoT मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।



स्कूल स्वास्थ्य मिशन

सभी स्कूली बच्चों के गैर संक्रामक रोगों (WCDs) एवं मानसिक स्वास्थ्य की 100 % स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने हेतु स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वन



मिशन लिवर स्माईल

नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) में कमी लाने हेतु सार्वभौमिक स्क्रीनिंग, प्रारंभिक हस्तक्षेप और जीवनशैली में सुधार को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के सभी 61 जिला अस्पतालों में लिवर क्लिनिक स्थापित किए गए हैं तथा 5,000 स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।



जन औषधि केंद्रों का विस्तार

ब्लॉक स्तर पर कम लागत वाली दवाओं की दुकानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे सभी नागरिकों के लिए किफायती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।



वन हेल्थ केंद्र

पशुजन्य रोगों (Zoonotic Diseases), रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Anti-Microbial Resistance - AMR) एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिमों के समाधान हेतु राज्यस्तरीय वन हेल्थ केंद्र की स्थापना।



स्वास्थ्य सेवाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी PPP

संयुक्त निवेश मॉडल के माध्यम से मेडीसिटीस में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित किये जायेंगे



आयुष एवं पारंपरिक चिकित्सा का विकास

आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विस्तार किया जायेगा, साथ ही राज्य भर में औषधीय पौधों के संरक्षण केंद्र स्थापित।



Geriatric आयुर्वेद उत्कृष्टता केंद्र

आयु-संबंधित रोगों, रसायन एवं वाजीकरण चिकित्सा तथा वरिष्ठ नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य हेतु विशेषीकृत केंद्र स्थापित किए जाएंगे।



खाद्य सुरक्षा में वृद्धि

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) में मोटे अनाजों (Coarse Grains) को सम्मिलित किया जाएगा, जिससे पोषण में विविधता को बढ़ावा मिलेगा तथा गेहूँ पर निर्भरता कम होगी।



स्मार्ट उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता शिकायत निवारण एवं विधिक सहायता प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर उपभोक्ता भवन एवं उपभोक्ता मित्र की स्थापना की जाएगी।



24x7 खाद्यान्न उपलब्धता

आईरिस स्कैनिंग एवं डिजिटल वजन प्रणाली से युक्त PoS-सक्षम उचित मूल्य दुकानों तथा 'एनी-टाइम-ग्रेन (ATG)' मशीनों की स्थापना प्रस्तावित।



वैधानिक मापतौल का क्रियान्वयन

उपभोक्ता संरक्षण एवं मानकीकरण सुनिश्चित करने हेतु जिला मुख्यालयों पर मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाएं तैनात की जाएंगी।



उचित मूल्य दुकानदारों की सामाजिक सुरक्षा

आर्थिक स्थिरता एवं सहायता प्रदान करने हेतु ₹100 करोड़ का उचित मूल्य दुकानदार कल्याण कोष स्थापित किया जाएगा।



मिशन मधुहारी

राज्य भर में टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्कूलों और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से स्क्रीनिंग और ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि समय पर पहचान हो सके और बच्चों को निरंतर देखभाल एवं सहयोग प्रदान किया जा सके।



लैक्टेशन सहायता सेवाएं

चयनित सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता मानकों के अनुरूप लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट्स स्थापित की जाएंगी, ताकि उन नवजात शिशुओं को पोषण संबंधी देखभाल प्रदान की जा सके, जिनकी माताओं को स्तनपान कराने में कठिनाई हो रही है।



हेमोडायलिसिस सेवाओं को सशक्त बनाना

राजस्थान के सभी जिला अस्पतालों में 10-बिस्तरों वाले डायलिसिस यूनिट स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए जन-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी तथा लक्षित क्षमता निर्माण के माध्यम से सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

**उन्नत संक्रामक रोग (NCD) प्रबंधन**

सभी मेडिकल कॉलेजों में उभरते संक्रमणों एवं दीर्घकालिक रोगों के अध्ययन तथा नियंत्रण हेतु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

**एकीकृत चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान**

अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, रोबोटिक सर्जरी यूनिट और आनुवंशिक अनुसंधान केंद्रों के साथ मेडिसिटी (चिकित्सा शहर) विकसित किए जाएंगे।

**सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों का विस्तार**

जिला स्तर पर कैंसर, नेफ्रो एवं हृदय रोग अस्पताल स्थापित होंगे, जो AI driven diagnostics एवं टेलीमेडिसिन सेवाओं से युक्त होंगे।

**आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया**

गंभीर चिकित्सा सेवाओं के लिए राज्य एवं संभागीय स्तर पर एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करना तथा सभी जिला मुख्यालयों पर हेलीपैड बनाए जाएंगे।

**अंग प्रत्यारोपण एवं अंगदान में अग्रणी भूमिका**

नीतियों एवं जागरूकता अभियानों के माध्यम से राजस्थान अंग प्रत्यारोपण में देश का अग्रणी राज्य बनने का लक्ष्य रखेगा।

**चिकित्सा पर्यटन का वैश्विक केंद्र**

वैश्विक स्वास्थ्य सेवा निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में विश्वस्तरीय अस्पताल स्थापित किए जाएंगे।

**जलवायु-अनुकूल स्वास्थ्य अवसंरचना**

सभी अस्पतालों में सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन तथा पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

**स्वास्थ्य सेवाओं में AI एवं IoT**

रोगियों की मॉनिटरिंग हेतु IoT, कृत्रिम AI असिस्टेड डायग्नोस्टिक्स प्रिडिक्टिव मेटेनेंस एवं स्मार्ट एम्बुलेंस का उपयोग किया जायेगा।

**सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)**

वरिष्ठ नागरिकों एवं गंभीर रोगियों हेतु विशेष स्वास्थ्य पैकेज के साथ सार्वजनिक बीमा कवरेज का विस्तार किया जाएगा।

**स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)**

संयुक्त निवेश मॉडल के तहत मेडिसिटी, डायग्नोस्टिक्स केंद्र एवं विशिष्ट अस्पताल स्थापित किए जाएंगे।

**AYUSH हेल्थ केयर का सशक्तिकरण**

30 AYUSH वेलनेस केंद्रों, जिला स्तर पर औषधीय पौधों का संरक्षण हब और टेलीमेडिसिन प्लेटफार्मों की स्थापना करना।

**वैश्विक आयुर्वेद अनुसंधान और शिक्षा**

जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद शिक्षा, अनुसंधान और उपचार केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

**खाद्य सुरक्षा में वृद्धि**

TPDS में मोटे अनाजों को पूरी तरह से एकीकृत कर, क्षेत्रीय खरीद को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को पोषण लाभ के बारे में शिक्षित किया जाएगा।

**100% पारदर्शी खाद्य वितरण**

फेस रेकोगनिशन टेक्नोलॉजी, IoT-सक्षम लॉजिस्टिक्स और Any-Time-Grain (ATG) मशीनों के माध्यम से रियल-टाइम खाद्यान्न ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाएगी।

**उपभोक्ता अधिकार संरक्षण**

पंचायत स्तर पर उपभोक्ता भवन और उपभोक्ता मित्र की स्थापना कर, लीगल सपोर्ट और शिकायत निवारण सुनिश्चित किया जाएगा।

**वैधानिक मापतौल अधिनियम, 2009 को सुदृढ़ बनाना**

शिपमेंट को ट्रैक करने के लिए GPS और ब्लॉकचेन का उपयोग कर, धोखाधड़ी को कम कर, उत्पाद की ट्रेसबिलिटी में सुधार किया जाएगा।

**आवश्यक वस्तुओं के लिए स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखला**

खाद्यान्न, दवाओं और उपभोक्ता उत्पादों के लिए AI-आधारित ट्रैकिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा।

**सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता**

सिकल सेल डिजीज और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों को रोकने के लिए स्कूल और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा।

**वृद्धावस्था और पैलियेटिव देखभाल अवसंरचना**

वरिष्ठ नागरिक देखभाल केंद्र, पैलियेटिव देखभाल गृह और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पुनर्वास कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे।

**फेयर प्राइस शॉप कीपर के लिए सामाजिक सुरक्षा**

कम ब्याज दर पर ऋण एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु उचित मूल्य दुकानदार (FPS डीलर्स) कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी।

"यह बदलाव की रूपरेखा एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करेगी, जो सभी के लिए सुलभ, नवाचारयुक्त, सशक्त और भविष्य के लिए तैयार होगी।"